न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी मवाना, मेरठ।

अभियक्त के विद्वान अधिवक्ता		श्री मौ0 असलम
सरकार	**बनाम**	विकास मु.अ.स. 171/2025 धारा–281,125(बी), 106(1), बी.एन.एस. थाना–मवाना। जिला –मेरठ।

दिनांकः– 09.06.2025ः–

अभियुक्त विकास कुमार पुत्र धर्मसिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–171/2025 अन्तर्गत धारा–281,125(बी), 106(1) बी.एन.एस. थाना मवाना, मेरठ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अभियुक्त निर्दोष है, झूठां व रंजिशन फॅसाया गया है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्त के विरूद्व जनता का कोई गवाह नहीं है। अभियुक्त सम्भ्रांत परिवार के सदस्य है तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने के लिए तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त पर तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने का आरोप है। अपराध जमानतीय है तथा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध सात वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों में आवेदन जमानत स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त विकास कुमार पुत्र धर्मसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियक्त द्वारा बीस हजार रूपये का पी.बी. एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(प्रशान्त मौर्य)

न्यायिक दण्डाधिकारी,
मवाना, मेरठ।
ID.No.UP3377